

सं. 31011/7/2013-स्था.(क-IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना (क-IV)

नई दिल्ली: 26 सितम्बर, 2014
नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली-110001

कार्यालय जापन

नव नियुक्तियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पात्रता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने संस्तुति दी थी कि केंद्र सरकार के 'नव-नियुक्तों' को चार वर्ष के एक ब्लॉक के दौरान तीन बार अपने परिवार के साथ अपने गृह नगर की यात्रा तथा चौथी बार भारत में किसी जगह की यात्रा करने की अनुमति होगी। इस संस्तुति को सरकार ने स्वीकार किया और डीओपीटी के 23 सितंबर, 2008 के कार्यालय जापन सं. 31011/4/2008-स्था.(क) के द्वारा आदेश जारी किए गए।

2. इस विभाग के पास विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से कई संदर्भ प्राप्त होते हैं जिसमें नव-नियुक्तों की वर्षवार एलटीसी पात्रता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। इसके आधार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर निम्नानुसार हैं:

प्रश्न 1. किसी नव नियुक्त की एलटीसी पात्रता क्या है?

उत्तर: केंद्रीय सरकार के नव-नियुक्तों को चार वर्ष के एक ब्लॉक के दौरान तीन बार अपने परिवार के साथ अपने गृह नगर की यात्रा तथा चौथी बार भारत में किसी जगह की यात्रा के लिए अनुमति होगी। यह सुविधा केंद्र सरकार में पहली बार नियुक्त होने के बाद केवल नवनियुक्तों को चार-चार वर्ष के प्रथम दो ब्लॉकों में उपलब्ध होगी।

प्रश्न 2. नव नियुक्त के लिए चार वर्षों के दो ब्लॉक किस प्रकार लागू होते हैं?

उत्तर: चार वर्षों का प्रथम दो ब्लॉक सरकारी नौकरी में नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से लागू होगा भले ही जब सरकारी कर्मचारी ने बाद में सरकार के अंदर नौकरी बदली हो। तथापि, सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 7 के अनुसार किसी नव-

नियुक्त की एलटीसी पात्रता की गणना उसकी एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने की तिथि से प्रभावी होकर कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जाएगी।

प्रश्न 3. क्या नव-नियुक्तों के संबंध में चार वर्ष के एलटीसी ब्लॉक वर्ष 2010-13, 2014-17 वाले नियमित ब्लॉक के समान ही हैं?

उत्तर: नहीं। नव-नियुक्तों के चार वर्षों वाले प्रथम दो ब्लॉक उनके मामले में वैयक्तिक रूप से लागू होंगे। एलटीसी के 8 वर्ष पूरे होने के बाद उनको 2014-17 एवं 2018-21 आदि जैसे निर्धारित ब्लॉकों के अनुसार अन्य नियमित एलटीसी लाभार्थियों के समान समझा जाएगा।

प्रश्न 4. यदि कोई नव-नियुक्त एलटीसी की सुविधा किसी वर्ष नहीं ले पाता है/ले पाती है तो क्या वह इसे अगले वर्ष ले सकता है/ले सकती है।

उत्तर: नहीं। नव-नियुक्तों के मामले में एलटीसी को अगले वर्ष में नहीं ले जाया जा सकता है क्योंकि वह पहले से ही प्रतिवर्ष एलटीसी प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे। अतः यदि कोई नव-नियुक्त किसी वर्ष एलटीसी सुविधा नहीं ले पाता है तो उस वर्ष की समाप्ति पर उसका एलटीसी समाप्त समझा जाएगा।

प्रश्न सं. 5. नव नियुक्त की एल.टी.सी. पात्रता की हकदारी का लाभ उसके आठ वर्ष की सेवा की समाप्ति पश्चात कैसे उठाया जाएगा ?

उत्तर : (क) सेवा के आठ वर्ष की समाप्ति के उपरांत, जब नव नियुक्तों का अगला एल.टी.सी. चक्र पहले से चल रहे चार वर्षीय ब्लॉक (2014-17) के दूसरे दो वर्ष के ब्लॉक के आरंभ के साथ शुरू होगा (जैसे 2016-17), वह केवल 'गृह नगर' एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा यदि उसने आठवें वर्ष में 'भारत के किसी स्थान' की एल.टी.सी. चक्र का पहले से चल रहे दो वर्षीय ब्लॉक (उदाहरणार्थ : 2016-17 का 2017) के दूसरे वर्ष के साथ शुरू होगा, तो वे उस वर्ष एल.टी.सी. का पात्र नहीं होगा। विस्तृत स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण 1 एवं 3 का संदर्भ लें।

(ख) एल.टी.सी. के आठवें वर्ष की समाप्ति के उपरांत जब किसी नव नियुक्त के नए एल.टी.सी. चक्र का मेल नियमित चार वर्षीय ब्लॉक के आरंभ के साथ शुरू होगा। तब उनके नियमित ब्लॉक की पात्रता का प्रयोग सामान्य एल.टी.सी. नियम के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण 2 का संदर्भ लें।

प्रश्न 6. किसी वर्ष के 31 दिसम्बर को सेवा में कार्यग्रहण करने के मामले में किसी नव नियुक्त की एल.टी.सी. पात्रता की गणना कैसे की जाएगी ?

उत्तर : कोई नव नियुक्त जो किसी वर्ष के 31 दिसम्बर की तारीख को सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करता है तो वह अगले वर्ष की 31 दिसम्बर की तारीख से प्रभावी होकर एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा। चूंकि 31 दिसम्बर किसी कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिथि होती है, इसलिए उसके एल.टी.सी. लेने का प्रथम अवसर उस वर्ष के साथ समाप्त हो जाता है। तदनुसार, वह अपने प्रथम गृह नगर एल.टी.सी. का उपयोग उस वर्ष की अंतिम तारीख पर कर सकता है। अगले वर्ष से वह शेष सात एल.टी.सी. के लिए पात्र रहेगा। उदाहरण 3 का संदर्भ लें।

प्रश्न 7. 1.9.2008 से पूर्व सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने वाले किसी नव नियुक्त की पात्रता की गणना किस प्रकार की जाएगी ?

उत्तर : नव नियुक्त जिसने 1.9.2008 (यानी इस योजना के आरंभ से पहले) से सरकारी सेवा में कार्यग्रहण किया हो तथा जिसने 1.9.2008 को अपनी सेवा के प्रथम आठ वर्ष पूरे न किए हों, वह इस रियायत के लिए अपनी सेवा के प्रथम आठ वर्ष के पूरा होने की शेष समयावधि तक के लिए एल.टी.सी. का पात्र होगा। उदाहरण 4 का संदर्भ लें।

प्रश्न 8. क्या वह नव नियुक्त, जिसका गृह नगर एवं मुख्यालय एक ही हो, गृह नगर के लिए एल.टी.सी. का उपयोग कर सकेगा ?

उत्तर : नहीं। नव नियुक्त, जिसका गृह नगर एवं मुख्यालय एक ही हो, गृह नगर के लिए एल.टी.सी. का उपयोग नहीं कर सकता है। वह भारत के किसी स्थान के लिए केवल चौथे एवं आठवें अवसर पर एल.टी.सी. का उपयोग कर सकता है। सीसीएस (एल.टी.सी.) नियम 1988 के नियम 8 के अनुसार, गृह नगर के लिए एल.टी.सी. सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय एवं गृह नगर दो अलग-अलग स्थान होने चाहिए।

ह0/-

(बी. बंधोपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : (011) 23040341

उदाहरण

उदाहरण1:

एक कर्मचारी सेवा में 1 सितम्बर, 2008 को कार्यग्रहण करता है। सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम के अनुसार, वह एल.टी.सी. के लिए 1 सितम्बर, 2009 (नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने के उपरांत) से पात्र हो जाएगा। गृह नगर/अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए उसकी पात्रता निम्नवत् होगी-

एल.टी.सी. का वर्ष	एल.टी.सी. का प्रकार	एल.टी.सी. का अवसर
01.09.2008 – 31.08.2009	शून्य	-
01.09.2009 – 31.12.2009	गृह नगर	प्रथम
01.01.2010 – 31.12.2010	गृह नगर	द्वितीय
01.01.2011 – 31.12.2011	गृह नगर	तृतीय
01.01.2012 – 31.12.2012	भारत में किसी भी जगह	चतुर्थ
01.01.2013 – 31.12.2013	गृह नगर	पंचम
01.01.2014 – 31.12.2014	गृह नगर	षष्ठम
01.01.2015 – 31.12.2015	गृह नगर	सप्तम
01.01.2016 – 31.12.2016	भारत में किसी भी जगह	अष्टम
01.01.2017 – 31.12.2017	शून्य	-
01.01.2018 – 31.12.2021	नया एल.टी.सी. ब्लॉक	-

वर्तमान
ब्लॉक

चार वर्षों
का पहला
ब्लॉक

चार वर्षों
का दूसरा
ब्लॉक

स्पष्टीकरण: (i) प्रथम 8 वर्ष की समाप्ति के उपरांत, जव नवनियुक्त चार कैलेन्डर वर्ष (उदा. 2014-17) के नियमित वर्तमान ब्लॉक के बीच में पहुंचता है, जहां नवनियुक्त का नया एल.टी.सी. चक्र वर्तमान दो वर्षीय ब्लॉक के दूसरे वर्ष (उदा. 2016-17 का विस्तारित वर्ष 2017 के साथ शुरू होती है, तब वह उस वर्ष (यानी वर्ष 2017) एल.टी.सी. के लिए पात्र नहीं होगा।

(ii) उपर्युक्त से यह पता चलता है कि किसी नवनियुक्ति के लिए एल.टी.सी. पात्रता नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने की तारीख से प्रभावी होकर कैलेन्डर वर्षवार गणना की जाती है।

उदाहरण2:

एक कर्मचारी सेवा में 1 जनवरी, 2009 को कार्यग्रहण करता है। सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम के अनुसार, वह 1 जनवरी, 2009 (नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने पर) एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा। गृह नगर/अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए उसकी पात्रता निम्नवत् होगी-

एल.टी.सी. का वर्ष	एल.टी.सी. का प्रकार	एल.टी.सी. का अवसर
01.09.2009 – 31.12.2009	शून्य	-
01.01.2010 – 31.12.2010	गृह नगर	प्रथम
01.01.2011 – 31.12.2011	गृह नगर	द्वितीय
01.01.2012 – 31.12.2012	गृह नगर	तृतीय
01.01.2013 – 31.12.2013	भारत में किसी भी जगह	चतुर्थ
01.01.2014 – 31.12.2014	गृह नगर	पंचम
01.01.2015 – 31.12.2015	गृह नगर	षष्ठम
01.01.2016 – 31.12.2016	गृह नगर	सप्तम
01.01.2017 – 31.12.2017	भारत में किसी भी जगह	अष्टम
01.01.2018 – 31.12.2021	नया एल.टी.सी. ब्लॉक	-

स्पष्टीकरण: (i) एल.टी.सी. के आठवें वर्ष की समाप्ति के उपरांत, जब नवनियुक्त का एल.टी.सी. चक्र नियमित चार वर्षीय ब्लॉक के आरंभ के साथ शुरू होता है, तब नियमित ब्लॉक में उसकी पात्रता का प्रयोग नियमित एल.टी.सी. नियम के अनुसार किया जाएगा।

उदाहरण 3:

एक कर्मचारी सेवा में 31 दिसम्बर, 2011 को कार्यग्रहण करता है, सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम के अनुसार, वह 31 दिसम्बर, 2012 से प्रभावी होकर एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा (नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने पर)। गृह नगर/अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए उसकी पात्रता निम्नवत् होगी-

एल.टी.सी. का वर्ष	एल.टी.सी. का प्रकार	एल.टी.सी. का अवसर	
31.01.2011-30.12.2012	शून्य	--	
31.12.2012	गृह नगर	प्रथम	
01.01.2013-31.12.2013	गृह नगर	द्वितीय	
01.01.2014-31.12.2014	गृह नगर	तृतीय	
01.01.2015-31.12.2015	भारत में किसी भी जगह	चतुर्थ	
01.01.2016-31.12.2016	गृह नगर	पंचम	
01.01.2017-31.12.2017	गृह नगर	षष्ठम	वर्तमान
01.01.2018-31.12.2018	गृह नगर	सप्तम	ब्लॉक
01.01.2019-31.12.2019	भारत में किसी भी जगह	अष्टम	(2018-
01.01.2020-31.12.2021	गृह नगर	--	
01.01.2022-31.12.2025	नया एल.टी.सी. ब्लॉक	--	

स्पष्टीकरण:

- (i) एक नवनियुक्त जो किसी साल में 31 दिसम्बर को कार्य ग्रहण करेगा वह अगले वर्ष के 31 दिसम्बर से एलटीसी का पात्र होगा। चूंकि 31 दिसम्बर उस कैलेंडर वर्ष की आखिरी तिथि है, इसलिए उसका एलटीसी का पहला अवसर उस वर्ष में समाप्त हो जाएगा। अतः वह अपना गृह नगर एलटीसी का उपयोग सिर्फ उस दिन (अर्थात् 31 दिसम्बर) कर सकता है। अगले साल से वह शेष, सात एलटीसी का उपयोग कर सकता है।
- (ii) आठ साल की सेवा समाप्त होने के उपरांत जब नवनियुक्त का अगला एलटीसी चक्र, वर्तमान चार वर्ष ब्लॉक (2018-2021) के दूसरे दो वर्ष (अर्थात् 2020-2021) के आरंभ के साथ होता है, तो वह उस ब्लॉक में सिर्फ गृह नगर एलटीसी का पात्र होगा यदि उसने आठवें वर्ष में "भारत में किसी जगह" एलटीसी का उपयोग किया है, यदि उस नवनियुक्त ने अपने आठवें वर्ष में एलटीसी को त्याग दिया है, तो वह आगामी दो वर्ष ब्लॉक (2018-2021) में या "भारत में किसी जगह" या "गृह नगर" एलटीसी का उपयोग करने का चयन कर सकता है।

उदाहरण 4:

एक कर्मचारी सेवा में 10 मई, 2006 को कार्यग्रहण करता है। सी.सी.एस. (एल.टी.सी.) नियम के अनुसार, वह 10 मई, 2007 (नियमित सेवा के एक वर्ष पूरा होने पर) से एल.टी.सी. के लिए पात्र होगा। गृह नगर/अखिल भारतीय एल.टी.सी. के लिए उसकी पात्रता निम्नवत् होगी-

एल.टी.सी. का वर्ष	एल.टी.सी. का प्रकार	एल.टी.सी. का अवसर
10.05.2006-09.05.2007	शून्य	--
10.05.2007-31.12.2007	गृह नगर/ भारत में किसी भी जगह	प्रथम
01.01.2008-31.12.2008	गृह नगर	द्वितीय
01.01.2009-31.12.2009	गृह नगर	तृतीय
01.01.2010-31.12.2010	भारत में किसी भी जगह	चतुर्थ
01.01.2011-31.12.2011	गृह नगर	पंचम
01.01.2012-31.12.2012	गृह नगर	षष्ठम
01.01.2013-31.12.2013	गृह नगर	सप्तम
01.01.2014-31.12.2014	भारत में किसी भी जगह	अष्टम
01.01.2015-31.12.2015	शून्य	--
01.01.2016-31.12.2016	गृह नगर	--

स्पष्टीकरण

नवनियुक्त जिने 1-9-2008 (यानी इस योजना के आरंभ से पहले) से पहले सरकारी सेवा में कार्यग्रहण किया हो तथा जिसने 1-9-2008 को अपनी सेवा के प्रथम आठ वर्ष पूरे न किए हों, वह इस रियायत के लिए अपनी सेवा के प्रथम आठ वर्ष पूरा होने की शेष समयावधि के लिए पात्र होगा।